न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/327/2016**

**उनवान**

1. सत्यनारायण पुत्र मांगीदास वैष्णव निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा , जिला भीलवाडा
2. ओमप्रकाश पुत्र मांगीदास वैष्णव निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा , जिला भीलवाडा.

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. मोहनी बाई पुत्री प्रहलाद पत्नी लक्ष्मणदास वैष्णव निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा (मृत्यु होने से नाम डिलिट दिनांक 9.8.2019)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 56/2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2016

---

अधिवक्तागण :–

1. श्री रमेश चेचाणी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 14.2.2020

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बच्छखेडा पटवार हल्का बच्छखेडा में वादिया के स्वामित्व की पुश्तैनी हाल आराजी नम्बर 552 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा आराजी नम्बर 653 रकब 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 656 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1902 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 2040 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 2633/1 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 2633/2 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 2688 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 2722 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कल किता 9 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा है । वादिया एवं प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार है :–

बालूदास

मांगीदास — प्रहलाददास

सत्यनारायण — ओम प्रकाश — मु0 मोहनी बाई पुत्री

उक्त सजरे के अनुसार बालूदास के दो पुत्र मांगीदास व प्रहलाददास थे जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मांगीदास के लडके व वादिया प्रहलाददास की पुत्री है। उक्त सजरे के अनुसार बालूदास के हिस्से व खातेदारी की कृषि आराजी में वादिया का 1/2 हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित है। वादिया के पिता का स्वर्गवास हो वादिया के बाल्यकाल में ही हो चुका था तब वादिया नाबालिग होने व नामसझ होने से उक्त आराजियात में अपना नाम नहीं जुडवा सकी ।

2. वादग्रस्त आराजियात का भू प्रबन्ध से पूर्व की आराजी किता 9 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा खाता नम्बर

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

309 में दर्ज थी। राजस्व अधिकारियों ने दिनांक 9.1.278 को अपनी ओर से यह अंकन किया कि " आज यह नामान्तरकरण कोरम के समक्ष पेश हुआ , खातेदार प्रहलाद फौत होकर उसके कोई जायन्दा लडका एवं पत्नी नहीं है। अतः हस्ब तस्दीक की जाकर खाता प्रहलाद दास के बजाय मांगीदास पिता बालूदास के नामा खाता संख्या 11 को इण्ट्री अनुसार दर्ज करने की स्वीकृति है। " व इसी अनुसार पटवारी ने अपनी टिप्पणी भी उक्त नामान्तरकरण पर अंकित की । इस आधार पर वादिया का नाम राजस्व दस्तावेज में प्रहलाद के जगह जायंदा लडकी होने के बावजूद भी दर्ज नहीं किया गया । जबकि वादिया को कानूनन अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार है। वादिया अपने हक हिस्से की आराजी पर काश्त करने गई तो प्रतिवादीगण ने झगडा किया व प्रतिवादीगण ने वादिया को कहा कि वादिया का कोई हिस्सा नहीं है व वादिया को बेदखल कर दिया है। वादिया का वाद हेतुक दिनांक 25 नवम्बर 2004 से जारी है। अतः वाद पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात में वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे तथा वादिया को 1/2 हक हिस्से पर कब्जा कराया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादिया के कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण ने दौराने विचारण अपील दिनांक 9.8. 2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उसका नाम डिलिट किया जावे। जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम डिलिट किये जाने का आदेश पारित किया गया ।

6. अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के कोई वारिसान नहीं है अतः वादग्रस्त आराजियात का अपीलार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है एवं साथ ही ग्राम पंचायत बच्छखेडा द्वारा जारी सजरा के अनुसार प्रहलाद दास की पुत्री प्रत्यर्थीया मोहनी बाई के ला औलाद होना दर्शाया गया है। उक्त प्रमाण पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि मोहनी बाई की मृत्यु दिनांक 26.10.2018 को जो चुकी है व मोहनी बाई के अलावा परिवार में कोई नहीं है।

7. उक्त आधार पर वादग्रस्त आराजियात जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के हिस्से की है उसके खातेदारी अधिकार अपीलार्थीगण को दिलाये जाने का निवेदन किया।

8. राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थीया की मृत्यु होने से विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया ।

9. प्रत्यर्थीया/मृतक मोहनी देवी ने अपने आपको प्रहलाद दास की पुत्री होने का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र 88, 89, 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने पिता के हिस्से की भूमि का खातेदार

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

काश्तकार घोषित किये जाने एवं कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की । दौराने विचारण प्रत्यर्थीया की मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रत्यर्थीया के कोई जीवित वारिसान नहीं है। इस बाबत अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

10. प्रत्यर्थीया के पिता का नाम प्रहलाद दास दर्शाया गया है एवं उसके पति का नाम लक्ष्मणदास वैष्णव दर्शाया गया है। प्रकरण में प्रत्यर्थीया का ससुराल कहॉ था। क्या प्रत्यर्थीया के पति जीवित है अथवा नहीं एवं क्या प्रत्यर्थीया के कोई जीवित पुत्र पुत्री हैं अथवा नहीं अथवा उसके कोई द्वितीय श्रेणी के वारिसान है अथवा नहीं । यह जांच का विषय है। यद्यपि अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रत्यर्थीया के कोई जीवित वारिसान नहीं है। परन्तु प्रत्यर्थीया का ससुराल कहॉ पर है उसके पति जीवित है अथवा नहीं एवं क्या उसके प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी के वारिसान है अथवा नहीं यह जांच का विषय है।

11. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार से मृतका/प्रत्यर्थीया के वारिसान की जानकारी करने के उपरान्त विधिवत वादग्रस्त आराजियात के बारे में निर्णय पारित किया जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.14 17:27:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: